

28 OCT 2025










#### Mahagathbandhan Manifesto | Patna, Bihar | Assembly Elections-2025







#### **Indian National Congress**

AICC Hq, Indira Bhawan, 9A Kotla Marg, New Delhi - 110002

**Tel** : 011-65206520/21

011-23019080 (24 Akbar Road)

Email: connect@inc.in

indirabhawan@inc.in

**About** 

**INC Constitution** 

**Brief history of Congress** 

Our Values

Our Inspiration

Our Achievements

Our Policies

UPA

Literature

**INC Sessions** 

**Voice of the Nation** 

In Focus

Congress Sandesh

National Herald

A Billion & One Voices

Fact Checks

India At 70

Rajiv Gandhi Panchayati Raj Sangathan

**Frontal Organizations** 

Congress Seva Dal

**Indian Youth Congress** 

All India Mahila Congress

INTUC

NSUI

**For Voter** 

Truth About RSS

Regional Language Material

Congress schemes renamed / repackaged by the NDA

Bharat Jodo Nyay Yatra

Paanch Nyay

**AICC** 

AICC Office Bearers

CWC

Central Election Authority

**Central Election Committee** 

AICC Depts & Cells

**AICC Committees** 

**Join the Movement** 

Work For us

Volunteer

Locate Office

Media

Press Releases

Press Conference Archive

Photos

Videos

**Event Calendar** 

Congress Manifesto

Speeches

**Shri Rahul Gandhi** 

https://rahulgandhi.in

न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए इंडिया गुठबंधन का संकल्प पत्र 2025



### बिहार का तेजस्वी प्रणा

संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन तेजस्वी प्रतिज्ञा तेजस्वी प्रण



#### न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र 2025

#### प्रस्तावना

बिहार विधानसभा चुनाव २०२५ बिहार की जनता के लिए लोकतंत्र का महापर्व है। यह बिहार में सकारात्मक बदलाव का एक ऐतिहासिक अवसर भी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के समक्ष अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हुए अपार ज़िम्मेदारी का अनुभव कर रहा है।

विगत दो दशकों में बिहार की सत्ता में रही एनडीए (NDA) सरकार ने आम जनता की अपेक्षाओं के साथ घोर अन्याय किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कानून-व्यवस्था, रोज़गार, पलायन, भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई, बाढ़ और सुखाड़ — हर क्षेत्र में शासन की विफलता स्पष्ट है। सुशासन के नाम पर फैली कुव्यवस्था और बेलगाम अपराध व भ्रष्टाचार ने राज्य की प्रशासनिक प्रणाली को पंगु बना दिया है। लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर हुई हैं और नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव है।

बिहार, जो कभी देश में सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की प्रेरणा हुआ करता था, आज विकास के हर पैमाने पर सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। राज्य की जनता आर्थिक अवसरों के लिए पलायन को मजबूर है और बिहार एक पलायन-प्रदेश बनकर रह गया है। सामाजिक असमानता लगातार गहराती जा रही है। दलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों पर उत्पीड़न और अत्याचार में बढ़ोतरी होती जा रही है। बिहार, जो कभी देश में सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की प्रेरणा हुआ करता था, आज विकास के हर पैमाने पर सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। राज्य की जनता आर्थिक अवसरों के लिए पलायन को मजबूर है और बिहार एक पलायन-प्रदेश बनकर रह गया है। सामाजिक असमानता लगातार गहराती जा रही है। दलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों पर उत्पीड़न और अत्याचार में बढ़ोतरी होती जा रही है। नीतीश कुमार की सरकार के पास राज्य को इस दुर्दशा से निकालने के लिए न तो कोई कारगर उपाय एवं दृष्टि है और न ही इच्छाशक्ति। एनडीए सरकार की बागडोर अब सरकार के मुखिया के हाथ में न होकर अफ़सरशाहों और राजनीतिक दलालों के हाथों में बंधक बनी हुई है। जिसके कारण बिहार की जनता गहरे संकट में है। यहाँ तक कि राज्य के गरीब-गुरबा और दबे-कुचले अवाम के वोट के अधिकार को भी छीनकर उन्हें तमाम नागरिक अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित करने की साजिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन इस स्थिति को बदलने के लिए दढ़ संकल्पित है। इंडिया गठबंधन की सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय को भी समान महत्त्व देगी। हमारी सरकार राज्य के हर वर्ग एवं समुदाय के जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए करने हर वर्ग एवं समुदाय के जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए करने हर वर्ग एवं समुदाय के जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए करने हर वर्ग एवं समुदाय के जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के निर्माण की दिशा में हमारा संकल्पित, ठोस और ऐतिहासिक कदम है।



- 1. इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
- 2. सभी जीविका CM (Community Mobilisers) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। साथ ही, उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा तथा दो वर्षों तक बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा। जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु प्रति माह 2,000 रूपये का भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जीविका कैडर के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय प्रदान किया जाएगा।
- 3. सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किया जाएगा।
- 4. आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ), डेयरी-बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फ़ूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोज़गार का सृजन किया जाएगा। लघु और मध्यम उद्योग समूहों के वित्तीय एवं कौशल विकास के लिए सुसंगत नीति बनाई जाएगी। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर्स, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाये जाएंगे। मतस्य पालन एवं पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- 5. पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को लागू किया जाएगा।
- 6. माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अगले पाँच वर्षों तक महिलाओं को प्रतिवर्ष ₹30,000 प्रदान किया जाएगा। साथ ही हमारी सरकार BETI और MAI योजनाएं लाएगी, जिससे बेटियों के लिए "बेनिफिट", 'एजुकेशन', 'ट्रेनिंग' एवं 'इनकम' की व्यवस्था होगी तथा माताओं के लिए "मकान", "अन्न" एवं 'इनकम' की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- 7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्ग<mark>त विधवा और वृद्धजनों</mark> को 1500₹ मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष ₹200 की वृद्धि की जाएगी। दिव्यांग ज<mark>नों को 3000₹ मासिक पेंशन दी जाएगी।</mark>
- 8. हर परि<mark>वार को २०० यूनिट बिजली मुफ़्त दी जाएगी।</mark>
- 9. <mark>माइक्रोफाइनेंस कंप</mark>नियों द्व<mark>ारा किस्त वसूली के दौरा</mark>न महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए <mark>नियामक कानून</mark> बनाया ज<mark>ाएगा।सहारा इंडिया में</mark> निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने का उच्चस्तरीय प्रयास होगा।

- 10. प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा और परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ़्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। पेपर लीक और परीक्षा-अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रोज़गार में बिहार के निवासियों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी।
- 11. प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी तथा जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
- 12. शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण एवं तैनाती से सम्बंधित सुसंगत निति बनाई जाएगी। राज्य के सभी वित्त रहित सम्बद्ध महाविद्यालयों को "वित्त सहित महाविद्यालय" का मान्यता देते हुए प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालयों के समान वेतन, भत्ता प्रदान करना।
- 13. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी तथा मंडी और बाज़ार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा।प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर मंडियाँ खोली जाएँगी।APMC अधिनियम को बहाल किया जाएगा।
- 14. हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ₹25 लाख तक का मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को ज़िला स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा, और ज़िला अस्पतालों व सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर-स्पेशलिटी सुविधाएँ एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि राज्य के मरीज़ों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS तर्ज़ पर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
- 15. मनरेगा में मौजूदा ₹255 दैनिक मज़दूरी को बढ़ाकर तुरंत ₹300 किया जाएगा, और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। साथ ही बिहार सहित पूरे देश में मनरेगा मज़दूरी ₹400 सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
- 16. 'अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम' पारित किया जाएगा। अनुसूचित जाति / जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृति के लिए विदेश भेजा जाएगा।
- 17. आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची मे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- 18. अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति (sc) के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, और अनुसूचित जनजाति (st) के आरक्षण में भी आनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी।
- 19. हमारी सरकार अपराध के प्रति Zero Tolerance की नीति अपनाएगी। अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों (SP) एवं थानेदारों (SHO) के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया <mark>जाएगा। उ</mark>न्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथ ही<mark>, कमजोर वर्गों की आ</mark>वश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदन शीलता सुनिश्चित की जाएगी।
- 20. सभी अल्पसंख्यक समुदायों के <mark>संवैधानिक अधिकारों की</mark> रक्षा की जाएगी। वक्ष्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी, और वक्ष्फ संपत्तियो<mark>ं के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे अधिक क</mark>ल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबं<mark>धन बौद्ध समुदाय के</mark> लो<mark>गों को सुपुर्द किया जाएगा।</mark>

21. लेबर गणना (Labour Census) करवायेंगे ताकि हमारे श्रमवीर भाइयों को हर महीना आर्थिक मदद कर सकें। उनके लिए स्किल ट्रेनिंग करा सकें। प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक विभाग स्थापित किया जाएगा जो केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए समर्पित होगा। एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें प्रवासियों के नाम, पते, पेशे और आपातकालीन संपर्क विवरण दर्ज किए जाएंगे ताकि उनके कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, लुधियाना में विशेष रूप से बिहार मित्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो कान्नी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करेंगे।

22. त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एव ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत एव ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत एव ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधायन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुन: लागू किया जाएगा।

२३. PDS जनवितरण प्रणाली वितरकों को मानदेय दिया जाएगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को समाप्त किया जाएगा।

24. नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एकमुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी।

25. दिव्यांग भाई-बहनों की बेहतरीन सुविधाओं, सुनहरे भविष्य, तथा सरल व सुखी जीवन के लिए "दिव्यांग विकास कार्यक्रम" लागू क़रेंगे जिसके अंतर्गत दिव्यांग विभाग का गठन किया जाएगा। हर पंचायत में "दिव्यांग मित्र" की नियुक्ति की जाएगी। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष रिक्तता का प्रावधान होगा। दिव्यांगों को लघु व्यापार हेतु विशेष लोन का प्रावधान तथा दिव्यांगों के लिए विशेष मिल्क बूथ आवंटित किए जाएँगे वर्तमान सरकारी योजनाएँ पूर्ववत् रूप से लागू रहेंगी।

चलो बिहार बिहार बदलें

तरक्क़ी का नया इतिहास लिखें



#### हमारा संकल्प रोज़गार व युवा



- 1. इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम ला कर प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया जाएगा। 20 महीने के अंदर हर परिवार को नौकरी देने के रोडमैप पर कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा।
- 2. सरकार के कार्यकाल में सवा करोड़ (१,२५,००,०००) से ज़्यादा रोज़गार का सृजन किया जाएगा।
- 3. रोज़गार में बिहार के निवासियों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी।
- ४. ग्रेजुएट एवं पोस्ट-ग्रेजुएट युवाओं को प्रतिमाह ₹२,००० और ₹३,००० बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा।
- 5. संविदा कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीक़े से स्थायी किया जाएगा।
- 6. सभी शिक्षा-मित्रों, टोला सेवकों, तालीमी मरकज़ और विकास-मित्रों की सेवाएँ नियमित कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की पहल की जाएगी।
- ७. आउटसोर्सिंग प्रणाली समाप्त की जाएगी।
- 8. आईटी पार्क, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग , फ़ूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोज़गार का सृजन किया जाएगा।
- ९. बिहार जॉब कनेक्ट ऐप शुरू किया जाएगा, जिसमें रियल-टाइम जॉब लिस्टिंग, स्किल मैचिंग और नियोक्ताओं से सीधा जुड़ाव उपलब्ध होगा।
- १०. सरकारी संस्थानों में इंटर्निशिप हेतु न्यूनतम स्टाइपेंड सुनिश्चित किया जाएगा।
- ११. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म शुल्क समाप्त किया जाएगा।
- 12. हर पंचायत में एमएसएमई के तहत 3<mark>00 रोज़गार अवस</mark>र सृजित किए जाएँगे।
- 13. सरकारी पदों पर बहाली में भ्रष<mark>्टाचार, परीक्षा में पेपर लीक</mark>, मेरिट के साथ भेदभाव और अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी।
- इन सभी मा<mark>मलों की उच्चस्त</mark>रीय <mark>जाँच कर दोषियों को दंडित कि</mark>या जाएगा।
- 14. विद्यु<mark>त मानव बल और आपदा-मित्रों को नियमित कर्मी</mark> का दर्जा दिया जाएगा।





हमारी सरकार बनने पर दिव्यांग भाई-बहनों की बेहतरीन सुविधाओं, सुनहरे भविष्य, और सरल और सुखी जीवन के लिए "दिव्यांग विकास कार्यक्रम" लागू क़रेंगे जिसके अंतर्गत

- 1. दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष रिक्तता का प्रावधान होगा
- 2. दिव्यांगों को लघु व्यापार हेतु विशेष लोन का प्रावधान होगा
- 3. दिव्यांगों के लिए विशेष मिल्क बूथ आवंटित किए जाएँगे
- 4. दिव्यांगों को विशेष कोचिंग का प्रबंध होगा। दिव्यांगों के लिए ऐसे आवासीय कोचिंग संस्थान बनाए जाएँगे जो राष्ट्रीय स्तर के होंगे।
- 5. दिव्यांगों को विशेष पेन्शन 3000 ₹
- 6. दिव्यांगों के लिए विशेष आवास स्कीम
- 7. दिव्यांगों के लिए विभिन्न तकनीकी प्रफ़ेशनल स्किल सेंटर
- ८. दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता उपकरण
- 9. दिव्यांगों को विशेष बीमा
- 10. पेराओलम्पिक जैसे स्पोर्ट्स के लिए बि<mark>हार के दिव्यांग</mark> खिलाड़ियों को निखारा जाएगा, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएँगे
- 11. दिव्यांग विभाग का गठन किया जाए<mark>गा।</mark>
- 12. हर पंचायत में "दिव्यांग मित्र" की नियुक्ति की जाएगी।





- 1. केंद्र की नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के दुष्प्रभावों की समीक्षा की जाएगी और गुणवत्तापूर्ण तथा समान शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा नीति तैयार करने की दिशा में पहल की जाएगी।
- २. समान स्कूल प्रणाली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- 3. वित्त-रहित शिक्षा नीति समाप्त की जाएगी और सम्बद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों का अधिग्रहण (टेक-ओवर) कर प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।
- 4. प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी और कुल 100 कॉलेज खोले जाएँगे।
- 5. पटना में सावित्रीबाई फुले-फातिमा शेख महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- 6. दलित और ईबीसी छात्राओं के लिए प्रत्येक ज़िले में आवासीय विद्यालय तथा सभी अनुमंडल और ज़िला मुख्यालयों में दलित/ईबीसी बालिकाओं के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- ७. नवोदय विद्यालय के तर्ज़ पर प्रत्येक अनुमंडल में कर्पूरी ठाकुर आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- 8.अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जन-जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी कर उसे नियमित किया जाएगा। साथ ही टैबलेट वितरण और ई-लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।
- 9. निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की फीस व संचालन के नियमन के लिए क़ानून बनाया जाएगा।
- १०. शिक्षा क्षेत्र में संविदा प्रणाली समाप्त की जाएगी।
- 11. स्टूडेंट क्रेडिट <mark>कार्ड की सीमा ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख</mark> की जाएगी, और एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी एवं ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए यह सीमा ₹<mark>10 लाख तक होगी।गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को वि</mark>देशों में उच्च शिक्षा हेतु ₹25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा।
- 12. <mark>सभी स्कूलों और कॉ</mark>लेजों क<mark>े रिक्त पदों पर तुरंत बहाली</mark> की जाएगी।
- 13. <mark>शिक्षकों को गैर</mark>-शैक्षणिक <mark>कार्यों से मुक्त रखा जा</mark>एगा।

- 14. मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के साथ-साथ आधुनिक बुनियादी ढाँचा विकसित किया जाएगा। लाइब्रेरी को अपग्रेड करने के साथ नई लाइब्रेरियाँ भी स्थापित की जाएँगी। मदरसा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएँगे।
- १५. कक्षा ८वीं से १२वीं तक के सभी गरीब छात्रों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा।
- १६. शैक्षणिक पर्यटन (एजुकेशनल टूरिज़्म) को बढ़ावा देने और पलायन रोकने के लिए विशेष एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा।
- 17. पेपर लीक और परीक्षा-अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सख्त क़ानून बनाया जाएगा।
- 18. परीक्षा सत्र को नियमित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँगे।
- 19. शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE Act) को सशक्त रूप से लागू किया जाएगा।
- 20. विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्यों के बारे में शिक्षित किया जाएगा और प्रत्येक विद्यालय में उन्हें कार्यक्षेत्र प्रदान किया जाएगा।
- 21. शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें और वर्दी प्रदान की जाएगी।
- 22. पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए पहल की जाएगी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
- 23. प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु राज्य से बाहर यात्रा करने वाले छात्रों को यात्रा व्यय के लिए सहायता दी जाएगी।
- 24. एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, नवीकरणीय ऊर्जा और एग्रो-टेक के क्षेत्र में आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों, कौशल विद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
- 25. प्रत्येक ज़िले में नेत्रहीनों, मूक-बधिरों और अन्य दिव्यांग छात्रों के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस विशेष विद्यालय खोले जाएँगे।
- २६. पंचायत स्तर पर अंबेडकर पुस्तकालय और रीडिंग रूम की स्थापना की जाएगी।
- 27. अभ्यर्थियों के परीक्षा फॉर्म शुल्क को समाप्त किया जाएगा और परीक्षा केंद्र तक आने-जाने की यात्रा मुफ़्त उपलब्ध कराई जाएगी।
- 28. हमारी सरकार बनने पर संत रविदास, कबीर साहेब और अंबेडकर जी की शिक्षाओं और दर्शन को स्कूली पाठयक्रम में सम्मिलित किया जाएगा ताकि समाज से ऊँच-नीच, भेदभा<mark>व, जात-पात को स</mark>माप्त कर समानता, प्रेम, ज्ञान, सौहार्द और बराबरी की स्थापना हो।



#### जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुरक्षा

- 1. गरीबी रेखा से नीचे एवं निम्न मध्यम वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ₹25 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यम वर्ग के सभी व्यक्तियों को भी कम प्रीमियम पर इस योजना का लाभ मिलेगा।
- 2. सभी सरकारी अस्पतालों में हर प्रकार की चिकित्सा जाँच और दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँगी।
- 3. प्रत्येक ज़िला अस्पताल में आईसीयू, सर्जरी, स्त्रीरोग, अस्थि रोग (ऑथोंपेडिक), ईएनटी, बाल रोग (पीडियाद्रिक) आदि विशेषज्ञों सहित मल्टी-स्पेशियलिटी और क्रिटिकल केयर सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँगी।
- 4. सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी।
- 5. सभी मेडिकल कॉलेजों में कैंसर, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, श्वसन (रेस्पिरेटरी) और एंडोक्रिनोलॉजी के इलाज और सर्जरी की आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।
- ६. प्रत्येक अनुमंडल अस्पताल में आपातकालीन आईसीयू की स्थापना की जाएगी।
- ७. हर अनुमंडल में पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- 8. सीमांचल, कोसी और अन्य पिछड़े इलाकों में मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- ९. सभी प्रखंडों में मोबाइल क्लिनिक सेवाएँ शुरू की जाएँगी।
- 10. प्रत्येक वार्ड में वार्ड क्लिनिक और प्रत्येक <mark>पंचायत में पं</mark>चायत क्लिनिक की स्थापना की जाएगी।
- 11. टेलीमेडिसिन, ई-अपॉइंटमेंट और वी<mark>डियो कॉन्फ्रेंसिंग की</mark> सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।
- 12. डॉक्टरों क<mark>ो विशेष भत्ते के</mark> साथ ग्र<mark>ामीण क्षेत्रों में न्यूनतम से</mark>वा अवधि अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।
- 13. राज<mark>्यकर्मियों के लिए सीजीएचएस (CGHS) के तर्ज़ पर स</mark>्वास्थ्य सुविधा प्रणाली लागू की जाएगी।
- 14. स्वा<mark>स्थ्य विभाग में स</mark>भी रिक्त <mark>पदों पर शीघ्र बहाली सुनि</mark>श्चित की जाएगी।
- 15. <mark>प्रत्येक वार्ड में आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाए</mark>गी।
- 16. <mark>गरीब बस्तियों में कुपोषित बच्चों, महिलाओं औ</mark>र अन्य जरूरतमंदों के बीच पौष्टिक भोजन वितरण हेतु "मिशन भीम" योजना लागू की जाएगी।

17. किसी भी मरीज को स्थानीय सरकारी या निजी अस्पताल में पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी विशेष स्थिति में मरीज को किसी अन्य अस्पताल में रेफर करना आवश्यक हो, तो अस्पताल का एक चिकित्सक एंबुलेंस में मरीज के साथ जाएगा और रेफर किए गए अस्पताल में उसे भर्ती कराकर उपचार प्रक्रिया की निगरानी करेगा।



- 1. माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अगले पाँच वर्षों तक महिलाओं को प्रतिवर्ष ₹30,000 प्रदान किया जाएगा।
- 2. हमारी सरकार BET। और MAI योजनाएं लाएगी, जिससे बेटियों के लिए 'एजुकेशन', 'ट्रेनिंग' एवं 'इनकम' की व्यवस्था होगी तथा माताओं के लिए मकान, अन्न एवं 'इनकम' की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- 3. सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। साथ ही, उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा तथा दो वर्षों तक बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य कार्यों के संपादन हेतु प्रति माह 2,000 रूपये का भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जीविका कैडर के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय प्रदान किया जाएगा।
- 4. भूमिहीनों को दी जाने वाली ज़मी<mark>न का मालिकाना हक़ म</mark>हिलाओं के नाम पर रहेगा।
- 5. संविधान <mark>की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी स्</mark>कूलों और कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू किया जाएगा, जिसका आधा हिस्सा प्र<mark>त्येक आरक्षित वर्ग</mark> की <mark>महिलाओं को दिया जाएगा।</mark>

- 6. महिलाओं को मुफ़्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा २,००० नई बिजली बसें ख़रीदी जाएँगी।
- 7. सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ और सुलभ शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
- 8. महिला उत्पीड़न, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक और घरेलू हिंसा के मामलों की सुनवाई हेतु प्रत्येक अनुमंडल में विशेष महिला पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा।
- 9. बलात्कार के मामलों में FIR और मेडिकल जांच रिपोर्ट तुरंत पीड़िता को उपलब्ध कराई जाएगी।
- १०. महिला हेल्पलाइन को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाया जाएगा।
- ११. महिला सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, सड़कों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और महिला पुलिस बल की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
- 12. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में जेंडर ऑडिट कराया जाएगा, और महिलाओं की शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक शिकायत समिति
- (ICC) का गठन किया जाएगा, ताकि कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके।
- १३. महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण और प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
- 14. माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा।
- 15. महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, खेल, प्रशासन, विधि, पुलिस और सुरक्षा बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाएगा।
- १६. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली महिला खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति और विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 17. कामकाजी महिलाओं के लिए ज़िला स्तर पर वर्किंग महिला हॉस्टल बनाए जाएँगे।
- १८. सभी कार्यरत महिलाओं को मातृत्व अवकाश और पीरियड अवकाश का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।
- 19. सब्सिडी प्राप्त या परिसर डे-केयर सुविधाएं जिला न्यायालयों में प्रदान की जाएंगी और छोटे बच्चों वाली महिला अधिवक्ताओं को न्यायालय में उपस्थिति के लिए लचीले समय-सारणी की अनुमति दी जाएगी।



1.आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची मे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

- 2.अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति (sc) के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, और अनुसूचित जनजाति (st) के आरक्षण में भी आनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी।
- 3. UPA सरकार द्वारा पारित 'शिक्षा अधिकार अधिनियम' (२०१०) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अतिपिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा।
- 4. संविधान की धारा १५(५) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा।
- 5. सभी दलित और ओबीसी छात्रों को स्कूल ड्रेस, किताबें, छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा दी जाएगी।
- 6. दलित समाज के शोषण के विरुद्ध बने कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। दलितों के उत्पीड़न के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।
- ७. 'अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम' पारित किया जाएगा।
- 8. अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जन-जा<mark>ति तथा पिछड़ा</mark> वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध क<mark>रायी जाएगी।</mark>
- ९. दलितों <mark>और अतिपिछड़े वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए अनु</mark>दान-आधारित स्वरोज़गार योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
- १०. म<mark>हादलित, अतिपिछड़ा</mark> और <mark>भूमिहीन वर्गों को बंजर या</mark> खाली ज़मीन पर सामूहिक खेती के लिए भूमि पट्टा दिया जाएगा।

- 11. अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जन-जाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में बैकलॉग को तत्काल भरा जाएगा, और प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।
- 12. नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में "Not Found Suitable" (NFS) जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा।
- 13. आरक्षण के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने हेतु विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
- 14. आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधान मंडल की अनुमति से ही संभव होगा।
- 15. अतिपिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन (under- or over-inclusion) से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा।
- १६. पसमांदा मुसलमानों को हर प्रकार के न्याय के दायरे में लाकर उनकी आर्थिक और शैक्षिक उन्नति के लिए ठोस कदम उठाए जाएँगे।
- 17. 25 करोड़ रुपयों तक के सरकारी ठेकों/आपूर्ति कार्यों में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
- १८. निषाद, पान, धानुक तथा अन्य वंचित जातियों के लिए आरक्षण-न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी।
- 19. मछुआरा परिवारों को 'लीन पीरियड' (प्रतिबंधित अवधि, तीन माह) के दौरान प्रति परिवार ₹५,००० प्रतिमाह सहायता दी जाएगी।
- 20. मत्स्यपालन बीमा योजना और बाज़ार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक प्रखंड में मछली बाज़ार, प्रशिक्षण केंद्र और अनुदान योजनाएँ शुरू की जाएँगी।
- 21. सुसंगत जलाशय नीति के अंतर्गत नदियों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जाएगा, और आवंटन में परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 22. वनाधिकार कानून, 2006 के तहत वन भूमि और उसके प्रबंधन का अधिकार तथा पेसा कानून के तहत नियम बनाकर आदिवासी समाज को प्रखंड और पंचायत स्तर पर स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा।
- 23. आदिवासी समाज और पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले वन (संरक्षण) संशोधन कानून, 2023 को तत्काल वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
- 24. आदिवासियों के विस्थापन और टाइ<mark>गर प्रोजेक्ट के नाम प</mark>र उनके अधिकारों के हनन पर रोक लगाई जाएगी।



- 1. राज्य में बढ़ते अपराध पर तुरंत नियंत्रण किया जाएगा। महिला उत्पीड़न, अपहरण, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, साइबर अपराध और सांप्रदायिक उन्माद जैसे मामलों की रोकथाम तथा पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- 2. पहली कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस में 50% से अधिक रिक्तियों (अर्थात् 1.24 लाख रिक्त पदों) को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती हेतु निर्णय लिया जाएगा।
- 3. पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड को सशक्त किया जाएगा तथा इसका प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि यह केवल कागजों तक सीमित न रहे। इससे स्थानांतरण, पदस्थापन और पदोन्नति मेरिट के आधार पर होंगी न कि पक्षपात या भ्रष्टाचार के कारण।
- 4. अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों (SP) एवं थानेदारों (SHO) के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथ ही, कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाएगी।
- 5. सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने हेतु सभी थानों में मामूली विवादों का निपटान करने के लिए सामुदायिक सेवा रजिस्टर खोलने एवं जनता एवं पुलिस के बीच सहयोगपूर्ण एवं <mark>सौहार्दपूर्ण संबंध</mark> स्थापित करने हेतु आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
- 6. राज्य एवं जिला स्तर पर दो-स्तरी<mark>य खुफिया प्रणाली के</mark> माध्यम से पुलिस खुफिया को सशक्त किया जाएगा। राज्य स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक (<mark>अधिकारियों)</mark> के <mark>नियंत्रण में और जिला स्तर</mark> पर विशेष शाखा के तहत। यह प्रणाली जातीय हिंसा, संप्रदायिक संघर्ष, शराब तस्करी, रेत माफिया, चेन स्नैचिंग एवं अन्य अपराधों से निपटने हेतु उपयोगी होगी।
- 7. <mark>छह माह के भीतर पुलिस</mark> गश<mark>्ती वाहनों की संख्या दोग</mark>ुनी की जाएगी, जिनमें दो-पहिया एवं चार-पहिया वाहन शामिल होंगे। इससे अपराधियों में <mark>निरोधक प्रभाव प</mark>ड़ेगा एवं ज<mark>नता का विश्वास बढ़ेगा</mark>।

- ८. सम्पूर्ण राज्य में अपराधिक प्रवृत्तियों वाले बदनाम तत्वों एवं गुंडा प्रवृत्तियों के विरुद्ध कठोर एवं तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
- 9. अपराधियों पर कार्रवाई में चूक या एफआईआर दर्ज करने में देरी पाए जाने पर जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- 10. अपराध नियंत्रण हेतु सीसीटीवी, साइबर सेल, अपराध अन्वेषण (क्राइम इन्वेस्टिगेशन), फॉरेंसिक और ट्रैकिंग सिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा।
- 11. फास्ट ट्रैक कोर्ट, ग्रामीण न्यायालय, तथा दलित और महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- 12. सभी थानों की 24×7 निगरानी की जाएगी, उन्हें एनसीआरबी (NCRB) से जोड़ा जाएगा, और उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। एससीआरबी (SCRB) को अपराध आंकड़ों के नियमित अद्यतन से जोड़ा जाएगा।
- १३. राज्य सुरक्षा आयोग को सशक्त एवं पूर्णतया सक्रिय बनाया जाएगा ताकि पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जा सके।
- १४. थानों, अंचलों और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- 15. सरकार के कार्यभार संभालने के तीन महीनों के भीतर जिला स्तर के पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी अवैध हथियार निर्माण कारखानों के पता लगाने हेतु व्यापक अभियान चलाएंगे। संबंधित मामलों की त्वरित जांच सुनिश्चित कर छह माह के अंदर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।
- 16. पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण को अनिवार्य और नियमित किया जाएगा।
- १७. पटना एवं अन्य प्रमुख शहरों में प्रभावी शहरी पुलिसिंग सुनिश्चित करने हेतु पुलिस आयुक्तालय (कमिश्नरेट) स्थापित किया जाएगा।
- १८. थाना स्तर पर न्याय के त्वरित निपटारे हेतु ग्राम न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- १९. सभी लंबित सरकारी मुकदमों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित किया जाएगा।

#### कृषि, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था



- 1. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। पंचायत स्तर पर तेलहन, दलहन और मक्का की सरकारी खरीद की जाएगी, जबकि सब्ज़ी, फल और दूध उत्पादकों को विशेष सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- 2. मंडी और बाजार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर नई मंडियाँ खोली जाएँगी, तथा एपीएमसी (APMC) अधिनियम को पुनः लागू किया जाएगा।
- 3. सभी बटाईदार किसानों को पहचान-पत्र जारी किए जाएँगे और उन्हें एमएसपी, केसीसी तथा अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
- 4. कृषि भूमि के अंधाधुंध अधिग्रहण पर रोक लगाई जाएगी, और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर से चार गुना मुआवज़ा दिया जाएगा।
- ५. कोल्ड स्टोरेज और कृषि उपज के भंडारण की व्यवस्था ज़िला और अनुमंडल स्तर पर की जाएगी।
- 6. सिंचाई व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए राज्य के सभी बंद पड़े नलकूपों को चालू किया जाएगा।
- 7. सोन समेत सभी नहरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। नहर प्रणाली की सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए अंतिम छोर तक सिंचाई की सुविधा पहुँचाई जाएगी।
- 8. बागमती और सिकरहना नदियों पर बने <mark>तटबंधों की स</mark>मीक्षा की जाएगी।
- 9. किसानों को खेती के लिए प्रतिदिन <mark>18 घंटे निःशुल्क बिजली</mark> उपलब्ध कराई जाएगी।
- 10. सीमांचल क्षे<mark>त्र में केला</mark> और अ<mark>नानास की खेती को प्रोत्साह</mark>न दिया जाएगा।
- ११. खा<mark>द वितरण प्रणाली में व</mark>्याप<mark>क सुधार किया जाएगा ताकि</mark> किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध हो सके।
- 12. <mark>बढ़ी हुई सब्सिडी के सा</mark>थ सस्<mark>ते और गुणवत्तापूर्ण बीज,</mark> खाद तथा अन्य कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

- 13. फसल बीमा योजना के साथ-साथ किसान बीमा योजना लागू की जाएगी, जिससे समयबद्ध मुआवज़ा सुनिश्चित हो सके।
- 14. गरीब किसानों के कृषि-संबंधी ऋण माफ किए जाएँगे।
- 15. किसानों के लिए उचित मूल्य निर्धारण, मूल्य संवर्धन और बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर मखाना प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
- १६. दूध, मछली, मुर्गीं, बकरी, बाँस, रेशम, शहद तथा अन्य कृषि-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- १७. सभी जीआई टैग प्राप्त फल और खाद्य उत्पादों के लिए बोर्ड गठित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके।
- १८. प्रत्येक ज़िले में कृषि और पशु-चिकित्सा (वेटनरी) कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।
- १९. पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान को पुनः बिहार में स्थापित करने के लिए पहल की जाएगी।
- २०. गन्ना खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा और बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू किया जाएगा।
- 21.भूमि सर्वेक्षण व्यवस्था को सुसंगत बनाया जाएगा। बंद भूमि खातों को खोला जाएगा, और भूमि सर्वे में वास्तविक दखल और प्रकृति के आधार पर विवाद-रहित सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
- 22.मौजूदा कृषि कानूनों और विविध आयोगों की अनुशंसाओं के अनुरुप भूमि सुधार प्रक्रिया को तेज किया जाएगा तथा भूमि-अधिनियमों मे प्रगतिशील बदलावों की पहल की जाएगी।
- 23.हमारी सरकार बनने पर कोसी-सीमांचल की हर पंचायत में मक्का के भंडारण की उचित व्यवस्था करेंगे। इन क्षेत्रों में उपज के बाद किसानों को मक्का सुखाने के लिए सड़क पर रखना पड़ता है क्योंकि घरों में भंडारण की उचित व्यवस्था नहींहै।





- ा. आशा और आशा फे्सिलिटेटरों को संविदा कर्मी का दर्जा देकर मासिक मानदेय ₹10,000 किया जाएगा।
- 2. विद्यालय रसोइयों और ममता कार्यकर्ताओं को न्यूनतम ₹6,000 मासिक मानदेय <mark>दिया</mark> जाएगा।
- 3. आंगनवाड़ी तथा अन्य योजना-कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा।
- 4. स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए न्यूनतम ₹12,000 मासिक मानदेय और स्थायीकरण की व्यवस्था की जाएगी।
- 5. मनरेगा में मौजूदा ₹255 दैनिक मज़दूरी को बढ़ाकर तुरंत ₹300 किया जाएगा और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि बिहार सहित पूरे देश में मनरेगा मज़दूरों के लिए ₹400 दैनिक दर सुनिश्चित की जाए।
- 6. मनरेगा की तर्ज़ पर शहरी रोज़गार गारंटी योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
- ७. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की पहल की जाएगी।
- ८. सभी मानदेय कर्मियों के लिए 'समान काम का समान वेतन' की नीति लागू की जाएगी।
- 9. प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक विभाग स्थापित किया जाएगा जो केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए समर्पित होगा। एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें प्रवासियों के नाम, पते, पेशे और आपातकालीन संपर्क विवरण दर्ज किए जाएंगे ताकि उनके कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके।
- 10. बड़ा शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत, बें<mark>गलुरु, लुधिया</mark>ना में विशेष रूप से बिहार मित्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो कानूनी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान <mark>करेंगे। प्रवासी मजदूरों</mark> को उनके निवास स्थान पर राशन कार्ड सुनिश्चित किया जाएगा।
- 11. दुर्घटना में <mark>मृत घरेलू या</mark> प्रवा<mark>सी श्रमिकों के परिवारों को</mark> ₹15 लाख का मुआवज़ा दिया जाएगा, और देश के सभी प्रमुख शहरों में 24×7 हेल्प<mark>लाइन केंद्र स्थापित किए जाएँगे।</mark>


- 12. असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों तथा गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को पेंशन सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- १३. विशेष शिविर लगाकर निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण कराया जाएगा और सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन्हें दिया जाएगा।
- १४. सफाई कार्यों से जुड़े कर्मियों एवं अन्य कामगारों का सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

### भूमिहीन, बेघर और गरीब



- 1. सभी भूमिहीन और बेघर परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल और शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल भूमि अथवा पक्का मकान प्रदान किया जाएगा।
- 2. बिहार के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में चिन्हित ₹6,000 तक मासिक आय वाले लगभग 1 करोड़ गरीब परिवारों को ₹2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- 3. तटबंधों, नहरों, वन विभाग तथा अन्य सरकारी भूमि और पोखरों पर बसे भूमिहीन परिवारों को भूमि का पर्चा दिया जाएगा।
- 4. भूमि सर्वेक्षण और दाखिल-खारिज प्रक्रिया में व्याप्त लूट-खसोट पर रोक लगाई जाएगी। मालिक, गैर-मजरुआ और गैर-मजरुआ आम भूमि पर काबिज किसानों तथा गरीबों के क<mark>ब्ज़े वाली भूमि</mark> को नियमित किया जाएगा।
- 5. पचिधारकों को दख़ल-दिहानी की <mark>गारंटी दी जाएगी।</mark>
- 6. स्मार्ट सि<mark>टी और विकास योजनाओं के नाम पर, बिना वैकल</mark>्पिक पुनर्वास की गारंटी के गरीबों को उजाड़ने पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी।
- 7. बेति<mark>या राज की भूमि पर बसे लोगों को कानूनी अधिकार प्र</mark>दान किए जाएँगे और बेदखली पर रोक लगाई जाएगी।

#### वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजन की सामाजिक सुरक्षा



2. प्रत्येक ज़िले में नेत्रहीनों, मूक-बधिरों और अन्य दिव्यांग छात्रों की सुविधा हेतु विशेष आधुनिक विद्यालय खोले जाएँगे।साथ ही सभी विद्यालयों में दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

#### उद्योग व स्वरोज़गार



- 1. कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु सुसंगत नीति बनाकर बिहार में ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 2. केले की प्रसंस्करण कारखाने स्थापित किए जाएंगे और मालभोग जैसे स्थानीय केले की किस्मों के संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 3. चीनी, काग़ज़ सहित अन्य बंद पड़े कारख़ानों को पुनः चालू किया जाएगा।
- 4. कृषि श्रमिकों के श्रम को कुटीर और मध्यम उद्योगों में उपयोग कर रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ५. पर्यटन उद्योग का विकास किया जाएगा और इससे नए रोज़गार अवसर सुनिश्चित किए जाएँगे।
- 6. युवाओं को कम ब्याज दर पर स्वरोज़गार और स्टार्टअप के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- 7. चमड़ा, रेशम, शहद, मत्स्यपालन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोज़गार के अवसर सृजित हों।
- 8. लघु और मध्यम उद्योग समूहों के वित्तीय एवं कौशल विकास के लिए सुसंगत नीति बनाई जाएगी।
- ९. वापस लौटने वाले प्रवासियों को स्थानीय व्यवसाय स्थापित करने में सहायता के लिए एक बार का १ लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा।

#### ग्रामीण एवं शहरी विकास

- 1. त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा।
- 2. ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पहुँच-पथ, स्वच्छ पेयजल, जल निकासी और सामुदायिक भवनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- 3. पंचायत स्तर पर अम्बेडकर पुस्तकालय और पठन-कक्ष (रीडिंग रूम) की स्थापना की जाएगी।
- 4. शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति और योजनाओं के समन्वय के लिए बिहार अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (BUDA) की स्थापना की जाएगी।
- 5. खेलकूद और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक मैदानों तथा पार्कों का निर्माण किया जाएगा।



#### सांप्रदायिक सौहार्द एवं अल्पसंख्यक अधिकारो की रक्षा

- 1. सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक़्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी, और वक़्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे समुदाय के लिए अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा।
- 2. किसी भी धार्मिक संस्थान या स्थल पर हमले को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएँगे।
- 3. सांप्रदायिक उन्माद, उत्पात, हिंसा, हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग पर सख्त रोक लगाई जाएगी, तथा अपराधियों को त्वरित और कठोर सज़ा दी जाएगी।
- 4. आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय की समानता और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
- 5. बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा।
- ६. पसमांदा मुसलमानों को हर प्रकार के न्याय के दायरे में लाकर उनकी आर्थिक और शैक्षिक उन्नति के लिए ठोस कदम उठाए जाएँगे।
- 7. मदरसा में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ-साथ आधुनिक बुनियादी ढाँचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) विकसित किया जाएगा। लाइब्रेरियों को अपग्रेड करने के साथ नई लाइब्रेरियाँ स्थापित की जाएँगी। मदरसा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएँगे।
- 8. एक राज्य समकक्षता बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो मदरसा छात्रों को 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल डिग्री जैसी समकक्षता देने का काम करेगा, ताकि वे <mark>मुख्यधारा विश्वविद्या</mark>लयों, पेशेवर पाठ्यक्रमों और नौकरियों में स्थानांतरित हो सकें।
- ९. उर्दू, जो बिहार की दूसरी राजभाषा <mark>है, के संरक्षण और विकास</mark> के लिए ठोस कदम उठाए जाएँगे।
- 10. अल्पसंख<mark>्यकों में से पर्या</mark>प्त संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच प्राप्त हो।
- 11. <mark>वर्तमान में राज्य में संचालित सभी अल्पसंख्यक</mark> कल्याण योजनाओं की कार्यकुशलता बढ़ाई जाएगी, और अल्पसंख्यक समुदायों के कल<mark>्याण के लिए प्र</mark>भावी कदम उठाए जाएँगे।



- 1. सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों की अनुग्रह राशि कम से कम 1 करोड़ रुपये की जाएगी। उनके किसी एक परिजन या आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
- 2. Dial-112 में ड्राइवर के रूप में कार्यरत पूर्व सैनिकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें पुराने मामलों में जीवन की हानि भी शामिल होगी।
- 3. राज्य सरकार की नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा।
- 4.सेवानिवृत्त रक्षा और अर्धसैनिक बल कर्मियों के पुनर्वास और रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों के लिए एक पूर्व सैनिक कल्याण निगम स्थापित किया जाएगा।
- 5. केंद्रीय सरकार पर 'अग्निपथ योज<mark>ना' को वापस लेने और स</mark>भी अग्निवीरों को स्थायी बनाने के लिए दबाव डाला जाएगा।

## फुटपाथी और छोटे दुकानदारों की आजीविका की सुरक्षा



- 1. फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ने पर तत्काल रोक लगाई जाएगी। 2014 के वेंडिंग कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा और समुचित वेंडिंग ज़ोन की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ फुटपाथी दुकानदारों तक पहुँचाया जाएगा।
- 2. फुटपाथी दुकानदारों और छोटे-मंझोले व्यवसायियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा।

### जल संसाधन, बाढ़-सुखाड़ नियंत्रण एवं पयविरण संरक्षण

- 1. परंपरागत जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जाएगा और कोसी जलाशय, जलाशय, व मंडल जलाशय जैसी नई वृहद परियोजनाओं का निर्माण समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।
- 2. गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियों पर पंप कैनालों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 3. बाढ़ और सुखाड़ के स्थायी समाधान तथा परंपराणत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए ठोस पहल की जाएगी।

### अन्य / विविध

- १. प्रत्येक परिवार को २०० यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी।
- 2. त्रुटिपूर्ण स्मार्ट मीटर व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और इससे संबंधित दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएँगे।
- 3. गरीब परिवारों को ₹५०० में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4."सरकार आपके द्वार" योजना के तहत जाति, आय, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक प्रमाणपत्र घर-घर पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी।
- 5. कला और संस्कृति के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा तथा कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 6. आवश्यक वस्तुओं और जनसेवाओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँगे।
- ७. भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल की जाएगी।
- 8. बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और सुसंगत नीति बनाई जाएगी। इस कानून के तहत जेलों में बंद दलितों और अन्य गरीबों को तत्काल राहत दी जाएगी। ताड़ी और महुआ आधारित पारंपरिक रोजगार को शराबबंदी कानून के दायरे से मुक्त किया जाएगा।
- 9. संघीय ढाँचे के विरुद्ध किसी भी संविधान-विरोधी कानून को बिहार में लागू करने पर रोक लगाई जाएगी।
- 10. केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय उपसमिति का गठन किया जाएगा।
- ११. वीरता और उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए "जुब्बा साहनी पुरस्कार" प्रारंभ किया जाएगा।
- 12. पत्रकारों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण <mark>सुनिश्चित</mark> किया जाएगा। उनके लिए युवा हॉस्टल की तर्ज़ पर पत्रकार हॉस्टल की स्थापना की जाएगी, तथा सभी प्रमंडलों में प्रेस क्ल<mark>ब स्थापित किए जाएँगे</mark>। पत्रकारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- 13. साहित्य, क<mark>ुला और संस्कृ</mark>ति के <mark>क्षेत्र के विकास के लिए स</mark>ुसंगत नीति बनाई जाएगी। प्रदर्शन कलाओं हेतु प्रशिक्षण केंद्र और प्रेक्षागृहों का निर्माण <mark>किया जाएगा।</mark>
- १४. <mark>नशा-नियंत्रण के लिए</mark> सख्<mark>त कानून बनाया जाएगा औ</mark>र विशेष जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।
- 15. <mark>भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु एक</mark> विशेष समिति का गठन किया जाएगा।
- 16. <mark>ऑटो और ई-</mark>रिक्शा च<mark>ालकों से अवैध वसूली</mark> पर रोक लगाई जाएगी। उनके लिए उपयुक्त स्टैंड, चार्जिंग स्टेशन और सामाजिक सुरक्षा की

व्यवस्था की जाएगी।

- 17. अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और पत्रकारों के संरक्षण हेतु विधेयक पारित किए जाएंगे ताकि वे भय से मुक्त वातावरण में अपना कार्य निर्वहन कर सकें।
- 18. सहारा निवेशकों को उनका निवेश ब्याज सहित वापस दिलाने के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया जाएगा।
- 19. राज्य के सभी न्यायालयों में निम्न आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग के जूनियर अधिवक्ताओं को, रजिस्ट्रेशन के बाद पाँच वर्षों तक, सरकार की ओर से स्टाइपेंड के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- 20. अधिवक्ताओं को 10 लाख रूपये का मुफ्त जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा और उन्हें निःशुल्क 25 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
- 21. सब्सिडी प्राप्त या परिसर डे-केयर सुविधाएं जिला न्यायालयों में प्रदान की जाएंगी और छोटे बच्चों वाली महिला अधिवक्ताओं को न्यायालय में उपस्थिति के लिए लचीले समय-सारी की अनुमति दी जाएगी।

#### समापन घोषणा

बिहार के मेहनतकश दलित, अतिपिछड़े, वंचित, किसान, युवा, महिलाएँ, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मजदूर और समाज के सभी दबे-कुचले वर्गों के अधिकारों की गारंटी देने वाला यह नया बिहार का संकल्प पत्र — न्याय, समानता और लोकतंत्र की मजबूत नींव पर आधारित है। यह संविधान सम्मत सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास में इन वर्गों की उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प को पुनः दोहराता है। आइए, हम सब मिलकर बदलाव और न्यायपूर्ण नए बिहार के निर्माण का संकल्प लें। इंडिया गठबंधन समन्वय समिति, बिहार

न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए इंडिया गुठबंधन का संकल्प पत्र 2025

#### साझा संकल्प पत्र उप-समिति

#### (Manifesto Sub-Committee)

- 1. डॉ॰ मनोज झा, सांसद राजद
- 2. श्री सुधाकर सिंह, सांसद राजद
- 3. प्रो॰ अनवर पाशा राजद
- 4. प्रो॰ सुबोध मेहता राजद
- 5. श्री अमिताभ दुबे कांग्रेस
- 6. श्री करुणा सागर कांग्रेस
- 7. श्री शिव जतन ठाकुर कांग्रेस

- 8. कॉ॰ मीना तिवारी सीपीआई (एमएल)
- 9. प्रो॰ अभ्युदय सीपीआई (एमएल)
- 10. कॉ॰ सर्वोदय शर्मा सीपीआई (एम)
- 11. प्रो॰ दिनेश सहनी वीआईपी
- 12. मो॰ नूरुल होदा वीआईपी
- 13. प्रो॰ एम. जब्बार आलम सीपीआई
- 14. कॉ॰ रामबाबू कुमार सीपीआई



# चलो बिहार बिहार बदले

तरक्क़ी का नया इतिहास लिखें

#### हमारा संकल्प

पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई